वाद संख्या– 13/22 (बरेली)
मों0 आमिर बनाम अधिशासी अभियन्ता

11.10.2022

पुकारा गया। परिवादी अनुपस्थित पाया गया। विपक्षी उपस्थित पाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुना। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र संस्थित कर संक्षेप में याचना किया गया है कि परिवादी के विरूद्ध बिजली विभाग द्वारा गलत तरीके से विद्युत चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अतः जाँच कर दोषी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुये परिवादी का उत्पीड़न रोका जाये। परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रथम सूचना प्रतिवेदन मु0अ0 सं0 3237/2022 अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 थाना– एण्टी पावर थेफ्ट, बरेली की छायाप्रतिलिपि प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी की ओर से कहा गया है कि प्रस्तुत मामले में परिवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम मामला पंजीकृत है । इसलिए प्रस्तुत मामला इस फोरम में संधार्य नहीं है। उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली 2007 के पैरा 5.0 में फोरम की अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। उक्त विनियमावली के पैरा 5.1 में यह उल्लिखित है कि फोरम परिवाद स्वीकार नहीं, यदि वह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126,127,128,135 से 139,143,152 और 161 में वर्णित मामलों से सम्बन्धित है। प्रस्तुत मामले में अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम परिवादी के विरूद्ध मामला पंजीकृत है। इसलिए उक्त विनियमावली के पैरा 5.1 के अनुसार प्रस्तुत मामले को संधार्य करने की अधिकारिता फोरम को प्राप्त नहीं है। चूंकि प्रस्तुत मामले को संधार्य करने की अधिकारिता फोरम को प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रस्तुत मामला संधार्य नहीं है। अतः परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाये।

(जगदीश)
अध्यक्ष